

प्रारूप- 6
राजस्थान-सरकार

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो प्राध्यापक स्कूल शिक्षा राजनीति विज्ञान के रूप में उनके नाम के सम्मुख विद्यालयों / संस्था में कार्यरत है, को अधिवार्षिकी की आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 05 से अंकित तिथि से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम प्राध्यापक (रा0वि0) एवं समकक्ष मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि) श्री/सुश्री/श्रीमती	जिला	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5
1	राजबीर सिंह मलिक-नेशल राजगढ़-चूरु	चूरु	04.02.1959	28.02.2019
2	नारु सिंह-तामकोट- गंगानगर	गंगानगर	01.01.1959	31.12.2018
3	बुद्धाराम पटेल-खुडाला-जोधपुर	जोधपुर	11.01.1959	31.01.2019

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम- 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

नोट:- सेवानिवृत्ति दिनांक तक कार्मिकों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्यवाही होती है, तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें ।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक,


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

25-10-2018

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/सेवानिवृत्ति/2018-19/2018 दिनांक:-
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग _____
3. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा
5. संबंधित संस्था प्रधान.....
6. संबंधित कार्मिक
7. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर
8. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान


बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित व्याख्याता (राज.विज्ञान) के इस कार्यालय द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश में उनके नाम के सामने अंकित विवरणानुसार संशोधन किया जाता है।


क्र. सं.	नाम कार्मिक पद स्थापन स्थान	मूल आदेश के क्रमांक/दिनांक	जारी संशोधन जो किया जाना है
1	फकीराराम - राउमावि जसाई, बाडमेर	शिविरा/संस्था/सी-6/रा0वि0/सेवानिवृत्ति/2018-19/दिनांक-28.08.2018	क्रम सं. 02 कॉलम सं. 03 में जिले का नाम झुंझुनू के स्थान पर बाडमेर पढा जावे।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/सेवानिवृत्ति/2018-19/2018 दिनांक:- 25/10/2018
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
3. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
5. संबंधित संस्था प्रधान.....
6. संबंधित कार्मिक
7. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर
8. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर